प्रश्न क्र. 3357

[9/3/2021]
परिशिष्ट = अ

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

भविष्य निधि कार्यालय के समीप,
अरेरा हिल्स (हिन्दुस्तान पेट्रोल पंप के पास), भोपाल
Telephon No.0755-2557727,Fax No.0755-2552899, E-mail adress: dirpanchayat@mp.gov.in

क्रमांक/पं.रा./एफ-1-586/2021 / 1218 भोपाल, दिनांक 30.01.2021

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत-समस्त, म.प्र.।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत-समस्त, म.प्र.।

विषयः- **ग्राम पंचायत सचिव जिनकी शिकायतें प्राप्त होती है उनके जनपद पंचायत से बाहर स्थानान्तरण की नीति।**

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम पंचायत सचिव जिनकी शिकायत प्राप्त होती है, उन्हे जनपद पंचायत से बाहर स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में म.प्र. पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम 2011 के नियम 6 (7) के अंतर्गत निम्नानुसार नीति निर्धारित की जाती है :-

" जांच उपरांत यदि वित्तीय अथवा आचरण संबंधी गंभीर अनियमितता सिद्ध होती है तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत की अनुशंसा पर ऐसे दोषसिद्ध ग्राम पंचायत सचिव को उस जनपद पंचायत, जिसमें कि वह पदस्थ है से बाहर किंतु जिले के अंतर्गत किसी अन्य ग्राम पंचायत में स्थानान्तरित किया जायेगा। ऐसा स्थानान्तरण आदेश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जारी किया जा सकेगा।"

(बी0एस0 जामोद)
संचालक
पंचायत राज संचालनालय, म0प्र0